FAX NO. :01412209002 13 May 2013 11:33AM P1

कार्यालय जिला कलेक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

www.jaipur.nic.in

क्रमांकः आर–1( )11/विविध/2013 दिनांक 10-5-13

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

विषयः– कनक वृन्दावन से जयगढ–नाहरगढ रोड जंक्शन तक रोपवे निर्माण के लिए 1.51 है0 वन भूमि के प्रत्यावर्तन के लिए प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध मे।

प्रसंगः– आपका पत्र क्रमांकः F. 8 (143)JDA/EE(PDC-I) Forest Clearance Aerial Ropeway /2012/D-291 दिनांकः12.10.12 एवं 337 दिनांकः 25.4.2013

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा कनक वृन्दावन से जयगढ–नाहरगढ रोड जंक्शन तक रोपवे के निर्माण मे वन विभाग के नाहरगढ सेन्चुरी एरिया आमेर की 1.51 है0 वन भूमि के प्रत्यावर्तन प्रस्ताव वन विभाग मे भिजवाये जाने के संबंध में वन विभाग द्वारा भारत सरकार के परिपत्र 11–9/1998–एफ.सी. (पt.) दिनांकः 03.08.2009 के तहत अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) 2006 के तहत प्रमाण पत्र चाहा जा रहा है।

प्रकरण में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जयपुर, उप वन संरक्षक, वन्यजीव जयपुर एवं उपखण्ड अधिकारी आमेर से रिपोर्ट प्राप्त की गई। आयुक्त (राजस्व) नगर निगम जयपुर द्वारा अपने पत्र क्रमांक एफ 6 ( ) तहसीलदार/जननि/2013 दिनांक 28.03.2013 द्वारा आयुक्त आमेर जोन, नगर निगम को अपने स्तर पर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु लिखा गया। आयुक्त आमेर जोन नगर निगम जयपुर द्वारा अपने पत्र क्रमांकः 794 दिनांकः 05.04.2013 द्वारा रोपवे निर्माण में स्थानीय निकाय को कोई आपत्ति नही होना बताया गया है। उप वन संरक्षक वन्य जीव जयपुर ने अपने पत्र क्रमांकः एफ ( )वन संरक्षण/उवसवजी/2013/2557 दिनांकः 06.05.2013 तथा उपखण्ड अधिकारी आमेर ने अपने पत्र क्रमांकः राजस्व/13/1099 दिनांकः 09.05.2013 द्वारा रोपवे निर्माण में परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) 2006 के तहत किसी के हक व अधिकार प्रभावित नही होने से वांछित प्रमाण पत्र जारी किये जाने की सहमति प्रदान की गई है।

अतः आयुक्त, आमेर जोन, नगर निगम, उप वन संरक्षक, वन्यजीव जयपुर एवं उपखण्ड अधिकारी आमेर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार कनक वृन्दावन से जयगढ–नाहरगढ रोड जंक्शन तक रोपवे के निर्माण के लिए 1.51 हैक्टे0 वन भूमि के प्रत्यावर्तन के लिए अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र जारी किया जाकर पत्र के संलग्न प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नः– प्रमाण पत्र

(टी0 रविकान्त)
जिला कलक्टर
जयपुर

TRUE COPY

छायाप्रति प्रमाणित

☎0141-2209001(O) 0141-2209000(Fax) Email:- dm-jaip-rj@nic.in

अविनाश शर्मा
अधिशाषी अभियन्ता–रिंग रोड(प्रथम)

अधिशाषी अभियन्ता (रिंग रोड)
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

ANNEXURE "K"

FAX NO. :01412209002 13 May 2013 11:33AM P2

203

कार्यालय जिला कलेक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

www.jaipur.nic.in

प्रमाण पत्र इस कार्यालय के पत्र क्रमांक: आर–1 ( )11/विविध/5013 दिनांक: 10.05.13 के सन्दर्भ में सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को जारी किया जाता है।

:: CERTIFICATE ::

Regarding compliance of Schedule Tribes & other Traditional Forest Dwellers (Recogintion of Forest Rights) Act'2006 in respect of Diversion of forest land measuring 1.51 Hectrare in Nahargarh Sanctuary Area, Tehsil Amer, Jaipur

1. It is certified that no Schedule Tribes & other Traditional Forest Dwellers (under Recoginition of Forest Rights Act 2006) are dwelling in Nahargarh Sanctuary Forest area aof 1.51 Hectare proposed for Construction of Aerial ropeway from Kanak Vrindavan to Jaigarh-Nahargarh Road Junction.

2. It is certified that there is no Gram Sabha existing in the proposed area as the area comes in Urban Limit.

3. It is certificated that on the basis of verification, no such facilities managed by Govt. requiring diversion of forest land under section 3(2) of the Forest Right Act 2006 exist over the forest land proposed for diversions.

(T. RAVIKANT)
CHAIRPERSON
DISTRICT LEVEL COMMITTEE

TRUE COPY
अविनाश शर्मा
अधिशाषी अभियन्ता–रिंग रोड(प्रथम)

छायाप्रति प्रमाणित

☎ 0141-2209001(O) 0141-2209000(Fax), Email:- dm-jaip-rj@nic.in

अधिशाषी अभियन्ता (रिंग रोड)
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर